(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 241–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–12–2014 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 24/अपील/2014–15.

1. राजीव कुमार दुबे पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे
2. प्रदीप कुमार दुबे पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे
3. दिलीप कुमार दुबे पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे
   समस्त निवासीगण– ग्राम सोहागी, तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

——— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासनस द्वारा कलेक्टर
   जिला रीवा म0प्र0
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा
   जिला रीवा म0प्र0

——— प्रत्यर्थीगण

.....

श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक प्रत्यर्थी शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/07/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 08–12–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि कार्यालय अधीक्षक त्योंथर के पत्र कमांक 122/रीडर/2013 दि0 14–8–2013 के द्वारा आदेशित किया गया कि न्यायाधीश त्योंथर के आवास हेतु शासकीय भूमि का किया गया

आवेंटन अनुपयुक्त होने के कारण आवंटन निरस्त करते हुये पुनः उपयुक्त भूमि की जानकारी उपलब्ध कराया जाये। तहसीलदार त्यौंथर जिला रीवा ने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पश्चात कलेक्टर ने आदेश दिनांक 5–8–2014 को अंतिम आदेश पारित करते हुये ग्राम सोहागी की भूमि सर्वे नम्बर 369/1.र कवा 12.412 हेक्टेयर के अंश रकवा 0.416 हेक्टयर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रीवा को न्यायाधीशगण त्यौथर के आवास निर्माण हेतु आवंटित की गई है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 8–12–2014 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष नया थाना आराजी नम्बर 73 में बन जाने के कारण उपरोक्त भू–भाग को न्यायाधीश आवास हेतु पटवारी ने प्रस्तावित किया है तथा न्यायाधीशगणों ने इसे इसमें सहमति व्यक्त की है। कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग से अनापत्ति की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि भूमिस्वामी कालम में म0प्र0 शासन का नाम है कैफियत में थाना का उल्लेख है जो मौके पर खाली है तथा असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय निकाय में पंचायत द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं विधिवत जांच करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि न्यायाधीशगण त्यौथर के आवास निर्माण हेतु आवंटित की गई है। कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करते हुये शासकीय भूमि को शासकीय उपयोग के लिए आवंटित की गई है, जिसमें

कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा स्वत्व के संबंध में उठाये गये तर्क का प्रश्न है राजस्व न्यायालय स्वत्व के निराकरण के सक्षम नहीं है अपीलार्थी चाहे तो व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के प्रश्न का निराकरण कराने के स्वतंत्र है। जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तर्कों का निराकरण कर आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिन तर्कों को इस न्यायालय में उठाया गया है उनका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में किया जा चुका है इसलिए उन पर पुनः विश्लेषण किया जाना आवश्यक नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08–12–2014 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर